पर्चा डिक्री

न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री कल्पित शिवरान आरएएस

प्रकरण सं0 : 105/2025

अनवान :

1. संजय पुत्र अशोककुमार जाति जाट निवासी डाबड़ी तहसील भादरा।

:– वादी

बनाम

1. अशोक पुत्र लेखराम जाति जाट निवासी डाबड़ी तहसील भादरा।
2. सुमित पुत्र अशोक कुमार जाति जाट निवासी डाबड़ी तहसील भादरा।
3. सुमन पुत्री अशोक कुमार जाति जाट निवासी डाबड़ी तहसील भादरा।
4. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार राजस्व भादरा।

:– प्रतिवादीगण

आज यह वाद न्यायालय सहायक कलक्टर फास्ट–ट्रैक भादरा के समक्ष वकील वादी श्री मुन्शीराम गोस्वामी एवं वकील प्रतिवादीगण श्री विक्रम शर्मा की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर एवं वाद वादी साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा डाबड़ी के खाता संख्या 8/8 के खसरा संख्या 526/763 की 0.784 है0, खसरा संख्या 767/353 की 1.058 है0 कुल खसरा 2 की 1.842 है0 बारानी खातेदारी में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम 1/3 हिस्सा तथा रोही मौजा रतनपुरा के खाता संख्या 4/6 के खसरा संख्या 213/131 की 0.633 है0 खसरा संख्या 219/131 की 1.039 है0 कुल खसरा 2 की 1.672 है0 बारानी खातेदारी प्रतिवादी संख्या अशोक के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। उक्त वादभूमि में से प्रतिवादी सं0 1 अशोक का नाम कलमजन किया जाकर वादी संजय एवं प्रतिवादी संख्या 2 सुमित को बहिस्सा बराबर के खातेदार घोषित किये जाते है। चूंकि प्रतिवादी सं0 1 तथा 3 ने अपना हक हिस्सा वादी तथा प्रतिवादी संख्या 2 के पक्ष में त्याग कर शुन्य कर लिया है अतः त्याग किये गये हिस्से पर नियमानुसार पंजीयन शुल्क व स्टाम्प ड्यूटि अदा करने पर व यदि कृषि भूमि रहन है तो रहनमुक्त होने के उपरान्त उपरोक्तनुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद किया जाकर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 16.07.25 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

Signature Not Verified

Digitally signed by Kalpit Shivran
Date: 2025.08.05 12:50:37 IST
Reason: SelfAttested

(कल्पित शिवरान) RAS
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रैक) भादरा (हनुमानगढ़)

Scanned with CamScanner

न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री कल्पित शिवरान आरएएस

प्रकरण सं0 : 105/2025

बनाम :

1 संजय पुत्र अशोककुमार जाति जाट निवासी डाबडी तहसील भादरा। :— वादी

बनाम

1 अशोक पुत्र लेखराम जाति जाट निवासी डाबडी तहसील भादरा।
2 सुमित पुत्र अशोक कुमार जाति जाट निवासी डाबडी तहसील भादरा।
3 सुमन पुत्री अशोक कुमार जाति जाट निवासी डाबडी तहसील भादरा।
4 राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार राजस्व भादरा।

:— प्रतिवादीगण

दावा बाबत : इस्तकरार हक

अन्तर्गत धारा 88,89 राज0काश्त0अधि0 1955

उपस्थिति : वकील श्री मुन्शीराम गोस्वामी : वादी

वकील श्री विक्रम शर्मा : प्रतिवादी सं0 1 ता 3

दिनांक : 16.07.25

निर्णय

संक्षेप मे वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा डाबडी के खाता संख्या 8/8 के खसरा संख्या 526/763 की 0.784 है0, खसरा संख्या 767/353 की 1.058 है0 कुल खसरा 2 की 1.842 है0 बारानी खातेदारी मे प्रतिवादी संख्या 1 के नाम 1/3 हिस्सा तथा रोही मौजा रतनपुरा के खाता संख्या 4/6 के खसरा संख्या 213/131 की 0.633 है0 खसरा संख्या 219/131 की 1.039 है0 कुल खसरा 2 की 1.672 है0 बारानी खातेदारी प्रतिवादी संख्या 1 अशोक के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

वादी एवं प्रतिवादीगण हिन्दू है तथा हिन्दू विधि से शासित होते है। वादभूमि वादी तथा संख्या 1 ता 3 की संयुक्त हिन्दु परिवार की अविभाजित कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्म से हक एवं अधिकार निहित है। वादी ने प्रतिवादीगण को वादभूमि में वादी के खातेदारी हकों की घोषणा कर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त करवाने के लिए कहा तो वे ऐसा करने से साफ इन्कार हो गये।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के उपरान्त वादी एवं प्रतिवादी सं0 1 ता 3 द्वारा आपसी सहमति से राजीनामा पेश किया गया। प्रतिवादी संख्या 4 द्वारा जवाबदावा पेश किया गया। वादी एवं प्रतिवादीगण द्वारा राजीनामा पेश किये जाने पर तनकी की आवश्यकता नहीं है अतः पत्रावली में साक्ष्य करवाया गया।

साक्ष्य वादी में संजय पुत्र अशोककुमार जाति जाट निवासी डाबडी तहसील भादरा के बयान करवाये गये। दस्तावेजी साक्ष्य में जमाबंदी रोही मौजा डाबडी खाता संख्या 8/8 संवत 2075–78 प्रदर्श 1, जमाबंदी रोही मौजा रतनपुरा संवत 2076–79 खाता संख्या 4/6 प्रदर्श 2, जमाबंदी रोही मौजा डाबडी संवत 2075–78 खाता संख्या 226/369 प्रदर्श 3, जमाबंदी रोही मौजा डाबडी संवत 2038 प्रदर्श 4, जमाबंदी रोही मौजा [illegible] संवत 2035–38 प्रदर्श 5, जमाबंदी रोही मौजा रतनपुरा संवत 2039 [illegible] सदस्य प्रमाण पत्र प्रदर्श 7 प्रदर्शित करवाये गये।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalpit Shivran
Date: 2025.08.05 12:50:37 IST
Reason: SelfAttested

बहस उभयपक्ष सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने [illegible] के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि वाद भूमि वादी की दादालाई पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादी एवं प्रतिवादीगण का जन्म से हक हिस्सा है। उक्त वाद भूमि प्रतिवादी सं0 1 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज होने पर वादी एवं प्रतिवादीगण के हकों पर विपरित असर पड़ता है। इस प्रकार मुताबिक राजीनामा व वाद में वर्णित भूमि पैतृक सम्पति साबित होने पर वाद वादी डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया।

Scanned with CamScanner

न्यायालय द्वारा विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेज का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रकरण में वादी ने रोही मौजा रतनपुरा तथा डाबड़ी के राजस्व रिकार्ड में अपने पिता के नाम दर्ज भूमि में अपने हकों की घोषणा करवाने हेतु वाद पेश किया है। वादी ने दावा की पुष्टि में सत्यप्रतिलिपि जमाबंदी व सदस्य प्रमाण पत्र वादी 1 से 7 प्रदर्शित करवाये। वाद भूमि रोही मौजा डाबड़ी के खाता संख्या 8/8 के खसरा संख्या 526/763 की 0.784 है0, खसरा संख्या 767/353 की 1.058 है0 कुल खसरा 2 की 1.842 है0 बारानी खातेदारी में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम 1/3 हिस्सा तथा रोही मौजा रतनपुरा के खाता संख्या 4/6 के खसरा संख्या 213/131 की 0.633 है0 खसरा संख्या 219/131 की 1.039 है0 कुल खसरा 2 की 1.672 है0 बारानी खातेदारी प्रतिवादी संख्या अशोक के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। उक्त वादभूमि में से प्रतिवादी सं0 1 अशोक का नाम कलमजन किया जाकर वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 को बहिस्सा बराबर के खातेदार घोषित किया जावे। चूंकि प्रतिवादी सं0 1 तथा 3 ने अपना हक हिस्सा वादी तथा प्रतिवादी संख्या 2 के पक्ष में त्याग कर शुन्य कर लिया है। इस प्रकार वाद वादी मुताबिक राजीनामा के आधार पर काबिल स्वीकार होने पर स्वीकृत किया जाता है।

क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादी साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा डाबड़ी के खाता संख्या 8/8 के खसरा संख्या 526/763 की 0.784 है0, खसरा संख्या 767/353 की 1.058 है0 कुल खसरा 2 की 1.842 है0 बारानी खातेदारी में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम 1/3 हिस्सा तथा रोही मौजा रतनपुरा के खाता संख्या 4/6 के खसरा संख्या 213/131 की 0.633 है0 खसरा संख्या 219/131 की 1.039 है0 कुल खसरा 2 की 1.672 है0 बारानी खातेदारी प्रतिवादी संख्या अशोक के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। उक्त वादभूमि में से प्रतिवादी सं0 1 अशोक का नाम कलमजन किया जाकर वादी संजय एवं प्रतिवादी संख्या 2 सुमित को बहिस्सा बराबर के खातेदार घोषित किये जाते है। चूंकि प्रतिवादी सं0 1 तथा 3 ने अपना हक हिस्सा वादी तथा प्रतिवादी संख्या 2 के पक्ष में त्याग कर शुन्य कर लिया है अतः त्याग किये गये हिस्से पर नियमानुसार पंजीयन शुल्क व स्टाम्प ड्यूटि अदा करने पर व यदि कृषि भूमि रहन है तो रहनमुक्त होने के उपरान्त उपरोक्तनुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद किया जाकर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 16.07.25 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Kalpit Shivran
Date: 2025.08.05 12:50:37 IST
Reason: SelfAttested

(कल्पित शिवरान) RAS
उपखण्ड अधिकारी (फास्ट-ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

Scanned with CamScanner